



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 21, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 3 (09)-2007-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37, सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा, श्री अशोक कुमार शर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति, ग्वालियर संभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है.

No. F. 3 (09)-2007-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukt, hereby appoint Shri Ashok Kumar Sharma as Chairman of the Divisional Vigilance Committee, Gwalior Division for the period of three years from the date of Joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.